बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०02/02-06/2014 27 पटना, दिनांक- 24.09.14

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव,

सेवा में,

वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु स्वीकृत्यादेश सं०-1396 दिनांक 12.09.14 के आलोक में राशि भुगतान के लिए अतिरिक्त आवंटन के संबंध में। कुल आवंटित राशि रू० 6,67,20,000 (छः करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार) रूपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-687 दिनांक-24.07.2014 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2014 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक-23.07.2014 को स्वीकृति प्रदान की है। तत्पश्चात विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2014 को अधिसूचना संख्या-एल0 जी0-1-09/2014: लेज 82 एवं 83 दिनांक-24.07.2014 द्वारा अधिसूचित किया है।

2. कंडिका-1 के आलोक में वित्त विभाग ने 31 मार्च 2015 के अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की है।
3. कंडिका-02 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, होंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन

के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेव होगें।

9. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–687 दिनांक 24.07.14 एवं पत्रांक–253 दिनांक 11.03.2014 में उल्लेखित निदेश के साथ–साथ, समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. स्वीकृतादेश संख्या–1396 दिनांक 12.09.14 के आलोक में निदेशालय अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों एवं प्रकाशन के मुद्रण हेतु स्वीकृत योजना एवं व्यय विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में ही राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार)
सचिव

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त आवंटन। जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101 है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	16-01 प्रकाशन एवं मुद्रण	13-02 वाहन का इंधन एवं रख रखाव	कुल योग
1	2	3		4	5
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना		66720000		66720000
कुल योग		0	66720000	0	66720000

(छः करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार)रू०मात्र

23/9/2014
सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

07 Samagra Sankhiyaki 18.9.14 - HQ